

**प्रथम अनुपूरक अनुमान 2016-17 में योजनावार प्रावधान**

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
122	अधीक्षण	5000000
259	अन्य संस्थाओं को अनुदान	100 *
279	अभियोजन संचालनालय	100 *
456	आयुक्त, भू-अभिलेख तथा बन्दोबस्त का कार्यालय	5000000
458	आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली का कार्यालय	1800000
515	इन्जीनियरिंग / तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान, भवनों का निर्माण	30600000
573	उच्च न्यायालय ( भारत )	11000000
798	कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	200 *
1024	खजाना और लेखा प्रशासन	745000
1026	खजाना स्थापना	11300000
1352	चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर	100 *
1353	चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय रायपुर	52500000
1355	चिकित्सा शिक्षा संचालनालय	550000
1470	जिला कार्यपालिक स्थापना	2400600
1472	जिला खर्च	50000100
1473	जिला चिकित्सालय	36000000
1479	जिला प्रचार तथा चल इकाई की स्थापना	50000000
1500	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय -मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये	550000
1502	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था -मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये	78800100
1509	जिला स्थापना	70000
1510	जिला स्थापना	22500000
2216	नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	240300
2320	निर्देशन और प्रशासन	20000000

नोट:\* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 1

**प्रथम अनुपूरक अनुमान 2016-17 में योजनावार प्रावधान**

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
2450	न्याय प्रशासन	5080000
2457	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	400 *
2668	पोलीटेक्निक संस्थाएं	200 *
2777	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	3000000
3282	मंत्रियों का वेतन	10692000
3490	माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण	200 *
3539	मुख्य जिला सड़कें	100 *
3569	मुख्यालय स्थापना व्यय	49300000
3598	मोटर गैरेज	4140000
3673	राज्य छात्रवृत्तियां	100000000
3686	राज्य योजना आयोग	2000000
3710	राज्यों के राजमार्ग	100 *
3775	रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण	100 *
3828	लघु सिंचाई योजना	100 *
3843	लेखा प्रशिक्षण शाला	98000
4007	विधान सभा	608000
4065	विशेष अवसरों पर प्रचार	131400000
4149	वृहद पुलों का निर्माण	200 *
4151	वृहद पुलों का निर्माण	100 *
4220	शिक्षा - चिकित्सा महाविद्यालय	200 *
4336	राज्यों में सड़कों का निर्माण - राज्य मार्ग	100 *
4361	स्थानीय निधि लेखा	1524000
4491	सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	27176100

नोट:\* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 2

**प्रथम अनुपूरक अनुमान 2016-17 में योजनावार प्रावधान**

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
4598	स्काउट एसोसियेशन को अनुदान	20000000
4691	कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएं	29000000
4843	अधो संरचना विकास निगम	10000000
4849	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से आपदा राहत निधि में अंतरण	2833850000
5026	छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि हेतु आर्थिक सहायता / अनुदान	150000000
5062	राष्ट्रीय पर्व आयोजन हेतु अनुदान	3800000
5171	विशेष न्यायालयों की स्थापना	1200000
5354	एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अन्तर्गत योजना)	300 *
5451	अंशपूजी सहायता योजना	26600000
5480	आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार (अनुच्छेद 275 (१))	3888000
5505	पशु संगणना कार्यक्रम	22634000
5549	गन्ना कृषकों को बोनस	97800000
5551	हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय	719860000
5601	बस्तर विकास प्राधिकरण	57960000
5602	सरगुजा / जशपुर विकास प्राधिकरण	115330000
5627	राजधानी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण	100 *
5628	कृषक ऋण ब्याजदर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान	243000000
5631	अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण	56360000
5640	उच्च न्यायालय हेतु आवासीय परिसर का निर्माण	10000000
5689	चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर	100 *
5710	शिक्षकों को पुरस्कार	6478000
6725	यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	48832000
6730	स्वस्थ पंचायत योजना	4000000

नोट:\* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा ।-3

**प्रथम अनुपूरक अनुमान 2016-17 में योजनावार प्रावधान**

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
6757	बाढ़ नियंत्रण योजनाएं	100 *
6769	भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना	500000
6894	डिजिटल शासन की स्थापना	23600000
6943	राज्य साक्षरता कार्यक्रम	100 *
6967	चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय बिलासपुर	52500000
7009	पर्यटन केन्द्रों का विकास	149882000
7247	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	600 *
7269	एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन	100 *
7306	सामान्य उद्देश्यीय अनुदान	20000000
7323	भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान	20901400
7330	मितानिन कल्याण निधि	500000000
7341	आई.आई.आई.टी. की स्थापना	60000000
7367	मॉडल स्कूल योजना	450000000
7408	राज्य आपदा प्रबंधन अंतर्गत दक्षता निर्माण	500 *
7416	तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	431500000
7438	स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन	56028000
7475	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	100 *
7552	कर्मचारियों के लिये आवास भवनों का निर्माण	100000
7592	खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासियों को छाद्यान	200000000
7626	विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाएँ से स्थानीय विकास कार्यक्रम	26680000
7672	वनबंधु कल्याण योजना	107250000
7673	विकास खण्ड शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	65300000
7684	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	88600000

नोट:\* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 4

**प्रथम अनुपूरक अनुमान 2016-17 में योजनावार प्रावधान**

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
7685	स्मार्ट सिटी	3270000000
7693	सोलर पंप हेतु सहायक अनुदान	1238600000
7700	सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलॉजी (सिपेट)	24250000
7703	वन स्टॉप सेन्टर की स्थापना व संचालन	807000
7733	एन्युटि के अंतर्गत सड़क निर्माण	300 *
7747	महतारी जतन योजना	141000000
7751	स्वामी विवेकानंद ज्ञानदीप योजना	7500000
7765	मुख्यमंत्री अमृत योजना	98000000
7797	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	181100300
7798	कॉमर्शियल कोर्ट	15000000
7799	सी.पी.एस. योजना	15000000
7800	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	100000000
7801	मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना	270000000
7802	8.02 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2025	401000000
7803	8.06 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2025	644800000
7804	8.53 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2026	100 *
7805	8.08 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2026	100 *
7806	हमर छत्तीसगढ़	185000000
7807	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	5000000000
7808	गिरौदपुरी मे जैतखंब का संधारण	8000000
8018	प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायो को अनुदान	865296000
8050	छात्रवृत्तियां	1542000
8555	छत्तीसगढ़, राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण	360000

नोट:\* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 5

**प्रथम अनुपूरक अनुमान 2016-17 में योजनावार प्रावधान**

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
8643	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ब्याज अनुदान योजना	10000000
8703	दुग्ध उत्पादन एवं अधोसंरचना	5195000
8716	केन्द्रीय सड़क निधि	100*
8913	निःशुल्क लेपटॉप एवं टेबलेट का प्रदाय	60000000
8935	लाइवलीहुड कालेज	100*
8941	चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा	100*
8985	रेडी टू ईट के लिए प्रयोगशाला की स्थापना / सुदृढीकरण	1500000
9005	इमारतों का अनुरक्षण लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत	135000000
9050	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	22600000
9064	मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान	142500000
9147	रोजगार कार्यालय	5156100
9188	उद्यान विकास योजना	100*
9261	अन्य व्यय	7000000
9893	लघु उद्योगिक क्षेत्र संस्थानों में विकास एवं निर्माण कार्य	50000000
<b>योग</b>		<b>21548719200</b>